

विनोद @ नसमुल्ला

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

(दाण्डिक अपील क्रमांक 1931/2019)

14 फरवरी 2025

[न्यायमूर्ति पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति श्री मनोज मिश्रा*]

विचारार्थ विवादक

क्या अपीलार्थी को दंड संहिता, 1860 की धारा 397 तथा आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 सहपठित धारा 395 के तहत दोषसिद्धि न्यायोचित है।

हेडनोट्स

दंड संहिता, 1860 – धाराएँ 395, 397 – आयुध अधिनियम, 1959 – धारा 25 – अभियोजन पक्ष का प्रकरण कि अपीलार्थी ने डकैती में भाग लिया था, जिसमें यात्रियों को ले जा रही एक बस को आठ सशस्त्र लोगों ने लूट लिया था – हालाँकि, अपीलार्थी सहित केवल दो का विचारण किया गया – अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया, सह-अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया – उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की दोषसिद्धि को यथावत रखा गया – चुनौती:

अभिनिर्धारित किया गया: न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट और न ही चक्षुदर्शी साक्षियों के कथनों में अपीलार्थी या किसी अन्य अभियुक्त का नाम है – यद्यपि अपीलार्थी की पहचान के लिए पहचान कार्यवाही की गई थी और अपीलार्थी की पहचान तीन में से दो साक्षियों द्वारा की गई थी, लेकिन उन तीन साक्षियों की विचारण के दौरान परीक्षण नहीं किया गया – इस प्रकार, पहचान कार्यवाही प्रतिवेदन, जिसका उपयोग साक्षियों का खंडन या पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है, उसका कोई साक्ष्यिक महत्व नहीं है – बस के चालक, परिचालक और क्लीनर जैसे सर्वोत्तम साक्ष्य, जिन्होंने पहचान कार्यवाही में भाग लिया था, को उचित कारण बताए बिना रोक दिया गया – एकमात्र साक्षी (अ.सा.-9) द्वारा की गई पहचान, वह भी एक पुलिस कर्मी द्वारा अपीलार्थी की दोषसिद्धि को यथावत रखने के लिए विश्वास पैदा करने में विफल रही, विशेष रूप से, अपीलार्थी से या उसके कहने पर किसी भी लूटी गई वस्तु की बरामदगी के संपोषक साक्ष्य के अभाव में – जिस तरह से गिरफ्तारी की गई वह भी संदिग्ध है – अपीलार्थी की दोषिता युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हुआ – विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्णय को

* *लेखक

अपास्त किया गया – अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया गया एवं दोषमुक्त किया गया। [पैरा 11, 15, 17, 24, 25]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 9 – पहचान कार्यवाही (टीआईपी) मूल साक्ष्य नहीं बल्कि केवल संपोषक साक्ष्य है – पहचान कार्यवाही का उद्देश्य, प्रगणना – पहचान कार्यवाही में अभियुक्त की पहचान करने वाले साक्षी का परीक्षण नहीं किया जाना – प्रभाव:

अभिनिर्धारित किया गया: एक बार जब पहचान कार्यवाही के दौरान अभियुक्त की पहचान करने वाले व्यक्ति को परीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो पहचान कार्यवाही किसी अन्य साक्षी द्वारा पहचान करने के लिए उपयोगी नहीं है – यदि पहचान कार्यवाही में किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान करने वाले साक्षी का परीक्षण के दौरान पूछताछ नहीं की जाती है, तो पहचान कार्यवाही प्रतिवेदन जो उसकी पुष्टि या खंडन करने के लिए उपयोगी हो सकती है, पहचान के प्रयोजनों के लिए अपना साक्ष्यिक महत्व खो देगी – जब तक साक्षी कठघरे में प्रवेश नहीं करता है और उससे प्रति-परीक्षण नहीं की जाती है, तब तक यह ज्ञात नहीं किया जा सकता कि उसने किस आधार पर व्यक्ति या वस्तु की पहचान की – क्योंकि यह संभव है कि पहचान कार्यवाही आयोजित किए जाने से पहले अभियुक्त को साक्षी को दिखाया जा सकता है या साक्षी को अभियुक्त की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। [पैरा 15]

संदर्भित निर्णयज विधि

रामेश्वर सिंह बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य [1972] 1 एससीआर 627: (1971) 2 एससीसी 715; हरि नाथ एवं एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [1988] 1 एससीआर 848: (1988) 1 एससीसी 14 – संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860; आयुध अधिनियम, 1959; साक्ष्य अधिनियम, 1872।

मुख्य शब्दों की सूची

डकैती; यात्रियों को ले जा रही बस; लूट; न्यायालय में पहचान; लूटे गए सामान की कोई बरामदगी नहीं; पहचान कार्यवाही (टीआईपी); कोई संपोषक साक्ष्य नहीं; युक्तियुक्त संदेह से परे दोष साबित नहीं हुआ; पुख्ता साक्ष्य; पहचान कार्यवाही प्रतिवेदन; साक्ष्यिक महत्व; गिरफ्तारी का तरीका संदिग्ध; चालक; परिचालक; बस का क्लीनर; सर्वोत्तम साक्ष्य विधारित किये गए।

प्रकरण उत्पन्न हुआ

दांडिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : दांडिक अपील क्रमांक 1931/2019

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के सीआरएलए क्रमांक 3014/1999 के दिनांक 03.01.2018 के निर्णय एवं आदेश से

डिजिटल उच्चतम न्यायालय प्रतिवेदन

पक्षकारों की उपस्थिति

अपीलार्थी हेतु :- मनीष कुमार गुप्ता, श्रीमती संगीता गुप्ता, शरद प्रकाश पांडे, अधिवक्तागण।

उत्तरवादी हेतु :- अपूर्व शुक्ला, पुनीत चाहर, सुश्री प्रभलीन ए. शुक्ला, अधिवक्तागण।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा,

1. यह अपील छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर¹ के दिनांक 03.01.2018 के दांडिक अपील क्रमांक 3014/1999 में पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देती है, जिसके तहत सत्र न्यायाधीश, (सरगुजा) अंबिकापुर (तत्कालीन मध्य प्रदेश) के दिनांक 26.10.1999 के सत्र विचारण क्रमांक 292/1994 में पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी गई है और भारतीय दंड संहिता, 1860² की धारा 397 सहित धारा 395 और आयुध अधिनियम, 1959³ की धारा 25 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को यथावत रखा गया है।

2. अपीलार्थी विनोद उर्फ नसमुल्ला एवं मोहम्मद कलाम अंसारी पर सत्र न्यायालय, (सरगुजा), अंबिकापुर (अब छत्तीसगढ़ राज्य में) द्वारा संयुक्त रूप से विचारण किया गया। मोहम्मद कलाम अंसारी को दोषमुक्त किया गया, जबकि अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 सहपठित धारा 397 और आयुध अधिनियम की धारा 25 (1)(ब) के तहत दोषसिद्ध किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 395 सहपठित धारा 397 के तहत उसे सात वर्ष के सश्रम कारावास और 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड के साथ आठ महीने की सजा सुनाई गई; और आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ब)(अ) के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसे डेढ़ वर्ष के सश्रम कारावास और 500/- रुपये के अर्थदण्ड के साथ तीन महीने की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

अभियोजन प्रकरण

3. अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप में यह है कि आदर्श ट्रांसपोर्ट बस सर्विस की बस क्रमांक यू.पी. 42-ए 5406 दिनांक 28.09.1993 की रात्रि लगभग 11:30 बजे रायपुर जा रही थी, तभी चालक के

¹ "The High Court"

² "IPC"

³ Arms Act

पीछे बैठे एक व्यक्ति ने चालक की कनपटी पर देशी कट्टा अड़ा दी और उसे बस रोकने को कहा। जब बस रुकी तो बस में पहले से ही सवार चार व्यक्ति और चार अन्य व्यक्ति, जो बस के रुकने के स्थान से उसमें चढ़े थे, ने यात्रियों के साथ मारपीट शुरू कर दी और उनका सामान लूट लिया। एक यात्री पर गोली भी चलाई गई, जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद अपराधी लूटे गए सामान के साथ भाग गए। चालक बस को पुलिस थाना, अंबिकापुर ले गया, जहां दिनांक 29.09.1993 को लगभग 12:20 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने कार्यवाही की, अपराधियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए और अंततः यह दावा किया गया कि दिनांक 29.09.1993 की रात्रि में ही, खेमराज सिंह (अ.सा.-5) ने लगभग 3:00 बजे अपीलार्थी को एक देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया, जिसमें पांच कारतूस थे, जिसमें से दो जिंदा और तीन खाली थे। दिनांक 30.09.1993 को, अपीलार्थी को पहचान कार्यवाही (संक्षेप में टीआईपी) के लिए रखा गया था, जिसमें उसे बस चालक राम सजीवन शर्मा (परीक्षण नहीं किया गया) और खलासी ऐनुल खान (परीक्षण नहीं किया गया) द्वारा पहचाना गया था। बस में उपस्थित अन्य व्यक्ति, अर्थात् कमल सिंह (बस का परिचालक), से अभियुक्त की पहचान करने के लिए कहा गया था, लेकिन वह उसे पहचानने में विफल रहा। अन्वेषण के दौरान किए गए अभिकथित स्वीकारोक्ति कथन के आधार पर, मोहम्मद कलाम अंसारी को गिरफ्तार किया गया और अपीलार्थी के साथ विचारण किया गया।

अभियोजन साक्ष्य

4. यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा अनेक साक्षियों से पूछताछ की गई, लेकिन जिन चक्षुदर्शियों (अर्थात् बस में सवार यात्रियों) से पूछताछ की गई, वे केवल तीन थे, अर्थात् अ.सा.-6, अ.सा.-9 और अ.सा.-12। यद्यपि, उनमें से किसी ने भी अपीलार्थी की पहचान कार्यवाही में भाग नहीं लिया था। अ.सा.-6, अ.सा.-9 और अ.सा.-12 ने डकैती की बात साबित की, जबकि अ.सा.-9 ने विचारण के दौरान न्यायालय में अपीलार्थी की पहचान उन डकैतों में से एक के रूप में की, जिसने चालक की कनपटी पर बंदूक अड़ा दी थी। अ.सा.-5 अपीलार्थी की गिरफ्तारी और देशी कट्टा की बरामदगी का साक्षी था। अ.सा.-7 (अर्थात् नायब तहसीलदार), जिसने अपीलार्थी की पहचान कार्यवाही निष्पादित की, ने पहचान कार्यवाही साबित की और अ.सा.-8 (अर्थात् अतिरिक्त तहसीलदार) ने मोहम्मद कलाम अंसारी की पहचान कार्यवाही साबित की।

विचारण न्यायालय का निष्कर्ष

5. विचारण न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि डकैती का तथ्य विधिवत साबित हुआ है; अ.सा.-9 ने अपीलार्थी की पहचान अपराध करने वाले डकैतों में से एक के रूप में की; अ.सा.-5 ने अपीलार्थी से देशी कट्टा की बरामदगी साबित की और इसलिए अपीलार्थी

दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। हालांकि, विचारण न्यायालय ने सह-अभियुक्त मोहम्मद कलाम अंसारी को दोषमुक्त कर दिया है।

उच्च न्यायालय का निष्कर्ष

6. निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की, यद्यपि उसे सफलता नहीं मिली। अपील खारिज होने से व्यथित होकर अपीलार्थी हमारे समक्ष है।

7. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता को सुना है, तथा अभिलेखों का परिशीलन किया है।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ

8. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क इस प्रकार है:

(i) अभियोजन पक्ष ने सबसे सर्वोत्तम साक्ष्यों को छुपाया है, जैसे कि बस का चालक जिस पर बंदूक अडा दी थी और जिसने कथित तौर पर पहचान कार्यवाही में अपीलार्थी की पहचान की थी। इसके अलावा, न तो परिचालक और न ही खलासी (अर्थात् क्लीनर), जिन्होंने पहचान कार्यवाही में भाग लिया था, अभियोजन पक्ष द्वारा जांच की गई।

(ii) अ.सा.-9 एक पुलिस कर्मी है जिसकी डकैती के समय बस में उपस्थिति संदिग्ध है क्योंकि, सबसे पहले, उसकी आवाजाही से संबंधित उसके दस्तावेज अभिलेख पर नहीं लाए गए और, दूसरी बात, अगर वह उपस्थित था, तो पहचान कार्यवाही के दौरान पहचान के लिए उसका उपयोग न करने का कोई कारण नहीं था। भले ही यह मान लिया जाए कि वह बस में यात्रा कर रहा था, लेकिन पहचान कार्यवाही में उसकी गैर-भागीदारी उसे अविश्वसनीय बनाती है, खासकर इसलिए क्योंकि अपने अभिसाक्ष्य में वह स्वीकार करता है कि उसने अपीलार्थी को पहले देखा था।

(iii) अपीलार्थी के कब्जे से या उसकी निशानदेही पर कोई चोरी/लूट का सामान बरामद नहीं हुआ।

(iv) अभिकथित तौर पर बरामद की गई देसी कट्टे का किसी न्यायालयिक साक्ष्य की सहायता से अभिकथित तौर पर चलाई गई बंदूक की गोली से कोई संबंध नहीं है।

(v) जिस तरह से अपीलार्थी को रात्रि के 3 बजे अ.सा.-5 द्वारा गिरफ्तार किया गया, वह विश्वसनीय नहीं है। इसके अलावा, अगर अपीलार्थी के पास भरा हुआ कट्टा था, तो उसने भागने के लिए इसका प्रयोग क्यों नहीं किया, खासकर तब जब अ.सा.-5 अकेला था और प्रकृति की पुकार का उत्तर देने गया था।

9. उपरोक्त प्रस्तुतियों के आधार पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य को संभाव्यता की कसौटी पर परखे बिना स्वीकार कर लिया है, इसलिए निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ

10. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि डकैती का तथ्य संदेह से परे साबित हुआ है; अ.सा.-9 ने अपीलार्थी को अपराधी के रूप में पहचाना है, जिसने बस को रोकने के लिए चालक पर बंदूक अडा दी थी; ऐसा कोई संकेत नहीं है कि अ.सा.-9 ने अपीलार्थी को क्यों झूठा फंसाया; पहचान कार्यवाही तत्काल आयोजित की गई थी; अ.सा.-7, नायब तहसीलदार, जिनकी उपस्थिति में पहचान कार्यवाही आयोजित की गई थी, ने साबित किया है कि उक्त कार्यवाही में अपीलार्थी की पहचान की गई थी; अ.सा.-5 ने साबित किया कि घटना की रात्रि, अपीलार्थी को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह एक देशी कट्टा ले जा रहा था; और कट्टा की न्यायालयिक जांच से ज्ञात होता है कि यह जिंदा कारतूसों सहित चालू हालत में थी। इन साक्ष्यों से, अन्य बातों के साथ-साथ, अपीलार्थी की अपराध में संलिप्तता सिद्ध हुई है, इसलिए दोषसिद्धि और दंड के आदेश अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के समुचित विवेचना पर आधारित है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है।

विश्लेषण

11. परस्पर विरोधी प्रस्तुतियों का विश्लेषण करने से पहले, उन तथ्यों को छांटना उपयोगी होगा जिनके संबंध में कोई विवाद नहीं है। ये निम्न प्रकार हैं:

(i) जिस घटना के लिए अभियोजन चलाया गया वह डकैती की घटना है, जिसमें दिनांक 28.09.1993 की रात्रि को 35 यात्रियों को ले जा रही एक चलती बस को लगभग आठ सशस्त्र लोगों ने लूट लिया था। हालाँकि, अपीलार्थी सहित केवल दो लोगों पर ही विचारण किया गया।

(ii) अपीलार्थी या अन्य अभियुक्तों से या उनके कहने पर किसी भी प्रकार की लूटी गई वस्तु बरामद नहीं की गई है। गिरफ्तारी के समय अपीलार्थी से बरामद की गई देसी कट्टे का किसी खाली कारतूस या गोली से कोई संबंध नहीं है, जो घटनास्थल पर पाई गई हो या घायल व्यक्ति से निकाली गई हो।

(iii) न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट और न ही दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत दर्ज चक्षुदर्शियों के कथनों में अपीलार्थी या किसी अन्य अभियुक्त का नाम है।

(iv) हालाँकि पहचान कार्यवाही को बस के चालक, खलासी (अर्थात् क्लीनर) और परिचालक की सहायता से संपन्न की गई, लेकिन उनमें से किसी से भी विचारण के दौरान साक्षी के रूप में पूछताछ नहीं

की गई। (v) अ.सा.-9 एकमात्र साक्षी है जिसने अपीलार्थी की पहचान न्यायालय में डकैती में भाग लेने वाले डकैतों में से एक के रूप में की।

(vi) अ.सा.-5 दिनांक 29.09.1993 की रात्रि में अपीलार्थी की गिरफ्तारी का एकमात्र साक्षी है।

12. ऊपर दिये गए तथ्यों से, अपीलार्थी के विरुद्ध केवल दो साक्ष्य हैं, अर्थात्, (अ) अ.सा.-9 द्वारा न्यायालय में पहचान; और (ब) अ.सा.-5 द्वारा उस रात्रि अपीलार्थी को देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार करना। हम उनमें से प्रत्येक पर अलग से विचार करेंगे।

अ.सा.-9 द्वारा न्यायालय में की गई पहचान विश्वसनीय नहीं है

13. इससे पहले कि हम अ.सा.-9 द्वारा न्यायालय में पहचान की विश्वसनीयता का परीक्षण करें, अपीलार्थी की पहचान करने के लिए अन्वेषण के दौरान आयोजित पहचान कार्यवाही के साक्ष्यिक महत्व की जांच करना उचित होगा।

14. साक्ष्य अधिनियम, 1872⁴ की धारा 9 के तहत पहचान कार्यवाही दांडिक अभियोजन में मूल साक्ष्य नहीं है, बल्कि केवल संपोषक साक्ष्य है। अन्वेषण के चरण के दौरान पहचान कार्यवाही आयोजित करने का उद्देश्य, सबसे पहले, यह सुनिश्चित करना है कि अन्वेषण एजेंसी सही दिशा में आगे बढ़ रही है, जहां अभियुक्त अज्ञात है और दूसरा, जब साक्षी विचारण⁵ के दौरान अभियुक्त की पहचान करता है, तो यह पुष्टि करने वाले साक्ष्य के रूप में काम करता है। पहचान⁶ का साक्ष्य केवल न्यायालय में मौखिक कथन की पुष्टि करता है और उसे विवश करता है, जो अकेले ही पहचान के लिए प्राथमिक और मूल साक्ष्य है। **रामेश्वर सिंह बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य**⁷, में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने संक्षेप में पहचान कार्यवाही के साक्ष्यिक महत्व को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया:

“6... .. पुलिस अन्वेषण के दौरान पहचान विधि में ठोस साक्ष्य नहीं है और इसका प्रयोग केवल संबंधित साक्ष्य द्वारा न्यायालय में दिए गए साक्ष्य की पुष्टि या खंडन करने के

4 Section 9.- Facts necessary to explain or introduce relevant facts. - Facts necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact, or which support or rebut an inference suggested by a fact in issue or relevant fact, or which establish the identity of anything or person whose identity is relevant, or fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened, or which show the relation of parties by whom any such fact was transacted, are relevant in so far as they are necessary for that purpose.

5 Umesh Chandra v. State of Uttarakhand, (2021) 17 SCC 616, (paragraph 9); Iqbal and Another v. State of Uttar Pradesh, (2015) 6 SCC 623 (paragraph 15)

6 Hari Nath and Another v. State of U.P., (1988) 1 SCC 14 (paragraph 19),

7 (1971) 2 SCC 715

लिए किया जा सकता है। पहचान की कार्यवाहीइस तरह से की जानी चाहिए कि विचारण के दौरान उनके संबंध में दिए गए साक्ष्य, न्यायालय को पहचान करने वाले साक्ष्य के न्यायालय में दिए गए कथन की पुष्टि या खंडन करने के उद्देश्य से उसके साक्ष्यिक महत्व के विषय में उचित न्यायिक मत बनाने में सुरक्षित रूप से सक्षम बनाते हैं।”

इस प्रकार, यदि पहचान कार्यवाही में किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान करने वाले साक्षी की विचारण के दौरान जांच नहीं की जाती है, तो पहचान कार्यवाही प्रतिवेदन जो उसकी पुष्टि या खंडन करने के लिए उपयोगी हो सकती है, पहचान के प्रयोजनों के लिए अपना साक्ष्यिक महत्व खो देगी। उपर्युक्त विधि के सिद्धांत के पीछे तर्क यह है कि जब तक साक्षी कटघरे में प्रवेश नहीं करता है और स्वयं को प्रतिपरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं करता है, तब तक यह कैसे पता लगाया जा सकता है कि उसने किस आधार पर व्यक्ति या वस्तु की पहचान की। क्योंकि यह संभव है कि पहचान कार्यवाही आयोजित होने से पहले अभियुक्त को साक्षी को दिखाया जा सकता है या साक्षी को अभियुक्त की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक बार जब पहचान कार्यवाही के दौरान अभियुक्त की पहचान करने वाले व्यक्ति को विचारण के दौरान साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो पहचान कार्यवाही किसी अन्य साक्षी द्वारा पहचान को यथावत रखने के लिए उपयोगी नहीं है।

15. इस प्रकरण में, हालांकि अ.सा.-7 (अर्थात्, नायब तहसीलदार जिसने पहचान कार्यवाही निष्पादित किया) द्वारा यह साबित किया गया था कि अपीलार्थी की पहचान के लिए पहचान कार्यवाही आयोजित की गई थी और अपीलार्थी की पहचान तीन साक्षियों में से दो द्वारा की गई थी, लेकिन अपीलार्थी की पहचान कार्यवाही में भाग लेने वाले उन तीन साक्षियों की विचारण के दौरान जांच नहीं की गई। इस प्रकार, पहचान कार्यवाही प्रतिवेदन का कोई साक्ष्यिक महत्व नहीं है, जिसका उपयोग उन साक्षियों का खंडन या पुष्टि करने के लिए किया जा सकता था। इसलिए, अपीलार्थी की पहचान के संबंध में प्रकरण के अभिलेख पर एकमात्र ठोस साक्ष्य अ.सा.-9 द्वारा न्यायालय में पहचान है।

16. अ.सा.-9 द्वारा किये गये न्यायालय में पहचान निम्नलिखित कारणों से हमारे विश्वास को प्रेरित नहीं करती है:

(क) अ.सा.-9 पुलिस थाना प्रेम नगर में पदस्त पुलिस कर्मी है। प्रतिपरीक्षण के दौरान, जब उससे उसके आवागमन के दस्तावेज के विषय में पूछा गया, तो वह उस बस में अपने आवागमन के विषय में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सका।

(ख) अन्वेषण अधिकारी के अनुसार, अ.सा.-9 का कथन उसी दिन दर्ज किया गया था जिस दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अपीलार्थी को भी घटना के कुछ घंटों के भीतर उसी रात्रि गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर भी, अ.सा.-9 का प्रयोग पहचान कार्यवाही के दौरान अभियुक्त की पहचान के लिए

नहीं किया गया। पहचान कार्यवाही में उसकी गैर-भागीदारी उसकी विश्वसनीयता को गंभीर रूप से हानि पहुंचाती है।

(ग) अ.सा.-9 ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा कि उसने अपीलार्थी को पहले एक से अधिक बार देखा था। यदि ऐसा था, तो अन्वेषण अधिकारी के लिए उसे पहचान कार्यवाही में प्रयोग करने का और भी अधिक कारण था। खासकर तब, जब वह एक पुलिस कर्मी के रूप में अभियोजन पक्ष के नियंत्रण में था।

17. इसके अलावा, जब आप बस के चालक, परिचालक और क्लीनर जैसे सर्वोत्तम साक्ष्यों का परीक्षण नहीं कराया हैं, जिन्होंने पहचान कार्यवाही में भाग लिया था, बिना यह बताए कि उन्हें क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया या बुलाया नहीं गया, तो एक एकमात्र साक्षी द्वारा, वह भी एक पुलिस कर्मी द्वारा, अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 395 सहित धारा 397 के तहत दंडनीय अपराध के लिए विशेष रूप से, अपीलार्थी से या उसके कहने पर किसी भी लूटी गई वस्तु की बरामदगी के संपोषक साक्ष्य के अभाव में दोषी ठहराए जाने के लिए हमारा विश्वास को प्रेरित करने में विफल रहता है।

जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है वह संदिग्ध है

18. अपीलार्थी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, उसके संबंध में अभियोजन पक्ष का प्रकरण अ.सा.-5 के कथनों पर आधारित है। अ.सा.-5 एक पुलिस आरक्षक है। उसके अनुसार, जब वह दिनांक 29.09.1993 को प्रातः लगभग 3:00 बजे शौच के लिए जा रहा था, तो उसने देखा कि अपीलार्थी एक सार्वजनिक तालाब के पास झाड़ियों में छिपा हुआ है, संभवतः गिरफ्तारी से बचने के लिए, क्योंकि पुलिस डकैतों की खोज में थी। अ.सा.-5 का कहना है कि अपीलार्थी ने अपने देशी कट्टे का प्रयोग करने की धमकी देकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह अपीलार्थी को काबू करने और गिरफ्तार करने में सफल रहा; और बाद में उसे कट्टा सहित पुलिस थाना प्रभारी को सौंप दिया गया।

19. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि देशी कट्टे में दो जिंदा कारतूस और तीन खाली कारतूस थे।

20. अपीलार्थी ने कथित तरीके से गिरफ्तारी के तथ्य से इनकार किया था और बचाव पक्ष के साक्षी भी प्रस्तुत किए थे, लेकिन न तो विचारण न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय ने बचाव पक्ष के साक्ष्य पर चर्चा की।

21. सामान्यतः, अगर कोई व्यक्ति भरे हुए हथियार लेकर चल रहा है, तो वह गिरफ्तारी से बचने के लिए उसी हथियार का प्रयोग करेगा, जब तक कि वह व्यक्ति पूरी तरह से संख्या में पूर्णतः कम न हो। यहाँ, अपीलार्थी को अ.सा.-5 द्वारा गिरफ्तार किया गया बताया गया है, जो अकेला था और शौच के लिए जाने वाला था। इसके अलावा, किसी भी पक्ष को कोई चोट नहीं लगी है, जिससे यह ज्ञात हो कि गिरफ्तारी के समय विरोध किया गया था। अभियोजन पक्ष की ऐसी कहानी सत्य के रूप में स्वीकार्य होने

के लिए अत्यंत सुविधाजनक है। खासकर तब, जब इसे केवल पुलिस साक्षियों का समर्थन प्राप्त हो। इसलिए, न्यायालय को साक्षियों के संपोषक हिस्सों की खोज करने के लिए सतर्क रहना चाहिए था। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि पुलिस के लिए सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले प्रकरण को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए दबाव में रहना असामान्य नहीं है और इसलिए, आसान लक्ष्यों की खोज करें।

22. यहाँ अपीलार्थी से या उसके कहने पर न तो कोई लूटी गई वस्तु बरामद हुई है, न ही देसी कट्टा, बस या अपराध स्थल से बरामद किसी खाली कारतूस से कोई संबंध है। साथ ही, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कोई क्षति रिपोर्ट भी नहीं है कि अपीलार्थी ने गिरफ्तारी से पहले विरोध किया था। ऐसे किसी भी संपोषक साक्ष्य के अभाव में, अपीलार्थी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, उसके विषय में अभियोजन पक्ष की कहानी को स्वीकार करना हमारे लिए बहुत सहज होगा।

23. उपरोक्त के अलावा, विचारण न्यायालय के निर्णय के पैरा 34 से, हम यह देख सकते हैं कि देशी कट्टा आदि का जब्ती मेमो (प्र. पी/11) दिनांक 29.09.1993 को 11:45 बजे तैयार किया गया था, जो अपीलार्थी की कथित गिरफ्तारी के लगभग नौ घंटे बाद है। जब्ती मेमो तैयार करने के लिए पुलिस थाना में जब्त वस्तुओं को प्रस्तुत करने में इतनी लंबी देरी, ठोस स्पष्टीकरण के अभाव में, अपीलार्थी की दिनांक 29.09.1993 को प्रातः लगभग 3 बजे गिरफ्तारी के बारे में अभियोजन पक्ष की कहानी की विश्वसनीयता को कम करती है।

24. एक बार जब हम अपीलार्थी की गिरफ्तारी के तरीके पर संदेह करते हैं, तो गिरफ्तारी के समय कथित तौर पर की गई देशी कट्टे की बरामदगी आधारहीन हो जाती है। इसके अलावा, विचारण न्यायालय के निर्णय के पैरा 33 और 34 से ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण के दौरान प्रस्तुत की गई देशी कट्टे जब्ती मेमों में जब्त हथियार के विवरण से मेल नहीं खाती थी। इस विसंगति को यह कहते हुए अनदेखा कर दिया गया कि यह जंग लगने के कारण हो सकती है। इसके अलावा, जब्त की गई वस्तुएँ दिनांक 22.06.1994 को न्यायालयिक जाँच के लिए भेजी गई थीं, जैसा कि विचारण न्यायालय के निर्णय के पैरा 34 से ज्ञात होता है। इन सभी परिस्थितियों को मिलाकर, दिनांक 29.09.1993 की रात्रि को 3 बजे अपीलार्थी से देशी कट्टे की बरामदगी के प्रकरण में अभियोजन पक्ष के प्रकरण की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से हानि पहुँचाया गया।

25. उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा है। इसलिए, अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है। अपील स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को उस आरोप से दोषमुक्त किया जाता है जिसके लिए उस पर विचारण किया गया था।

बताया जा रहा है कि अपीलार्थी जमानत पर है। उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। उसका जमानत पत्र उन्मोचित किया जाता है।

26. इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जाए।

प्रकरण का परिणाम: अपील स्वीकार की गई।

हेडनोट्स तैयार किया गया : दिव्या पांडे

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।